कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	583.09	5.60	588.69	734.19	42.00	776.19	595.43	42.00	637.43	636.96	55.10	692.06
वसूलियां	*-20.08*	...	-20.08	*-20.00*	...	*-20.00*	*-20.00*	...	*-20.00*	*-25.00*	...	*-25.00*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**563.01**	**5.60**	**568.61**	**714.19**	**42.00**	**756.19**	**575.43**	**42.00**	**617.43**	**611.96**	**55.10**	**667.06**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	141.17	...	141.17	213.36	...	213.36	138.79	...	138.79	163.98	...	163.98
2. कारपोरेट विधि नियमन												
2.01 संयुक्त स्टॉक कंपनियों का रजिस्ट्रार	68.84	...	68.84	77.96	...	77.96	76.66	...	76.66	77.00	...	77.00
2.02 क्षेत्रीय निदेशक, आधिकारिक परिसमापक और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ में अन्य व्यय	272.58	...	272.58	330.00	...	330.00	286.60	...	286.60	296.98	...	296.98
जोड़- कारपोरेट विधि नियमन	*341.42*	...	*341.42*	*407.96*	...	*407.96*	*363.26*	...	*363.26*	*373.98*	...	*373.98*
3. वास्तविक वसूली	-0.08	...	-0.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**482.51**	**...**	**482.51**	**621.32**	**...**	**621.32**	**502.05**	**...**	**502.05**	**537.96**	**...**	**537.96**
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
कॉरपोरेट आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली												
4. कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम)	4.70	...	4.70	0.02	...	0.02	4.40	0.50	4.90	4.00	1.00	5.00
5. डाटा माइनिंग प्रणाली (डीएमएस)	...	0.42	0.42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-कॉरपोरेट आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली	**4.70**	**0.42**	**5.12**	**0.02**	**...**	**0.02**	**4.40**	**0.50**	**4.90**	**4.00**	**1.00**	**5.00**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**4.70**	**0.42**	**5.12**	**0.02**	**...**	**0.02**	**4.40**	**0.50**	**4.90**	**4.00**	**1.00**	**5.00**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामकीय निकाय												
6. भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड	28.78	...	28.78	41.85	...	41.85	19.00	...	19.00	19.00	...	19.00
7. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	47.02	...	47.02	51.00	...	51.00	49.98	...	49.98	51.00	...	51.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सांविधिक और विनियामकीय निकाय	**75.80**	**...**	**75.80**	**92.85**	**...**	**92.85**	**68.98**	**...**	**68.98**	**70.00**	**...**	**70.00**
अन्य												
8. निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि												
8.01 निवेशकों को दावा न किए गए लाभांश की वापसी	20.00	...	20.00	21.00	...	21.00	20.00	...	20.00	25.00	...	25.00
8.02 आईईपीएफ से की गई वसूलियां घटाएं	-20.00	...	-20.00	-21.00	...	-21.00	-20.00	...	-20.00	-25.00	...	-25.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. मुख्य निर्माण कार्य - भूमि और भवन	...	5.18	5.18	...	42.00	42.00	...	41.50	41.50	...	54.10	54.10
जोड़-अन्य	**...**	**5.18**	**5.18**	**...**	**42.00**	**42.00**	**...**	**41.50**	**41.50**	**...**	**54.10**	**54.10**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**75.80**	**5.18**	**80.98**	**92.85**	**42.00**	**134.85**	**68.98**	**41.50**	**110.48**	**70.00**	**54.10**	**124.10**
कुल जोड़	***563.01***	***5.60***	***568.61***	***714.19***	***42.00***	***756.19***	***575.43***	***42.00***	***617.43***	***611.96***	***55.10***	***667.06***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	192.89	...	192.89	264.38	...	264.38	193.17	...	193.17	214.98	...	214.98
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	370.12	...	370.12	449.81	...	449.81	382.26	...	382.26	396.98	...	396.98
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	5.60	5.60	...	42.00	42.00	...	42.00	42.00	...	55.10	55.10
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**563.01**	**5.60**	**568.61**	**714.19**	**42.00**	**756.19**	**575.43**	**42.00**	**617.43**	**611.96**	**55.10**	**667.06**
कुल जोड़	**563.01**	**5.60**	**568.61**	**714.19**	**42.00**	**756.19**	**575.43**	**42.00**	**617.43**	**611.96**	**55.10**	**667.06**

1. **सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय व्यय और ई-गवर्नेंस परियोजना (एमसीए-21) के लिए प्रावधान है।

2.01. **संयुक्त स्टॉक कंपनियों का रजिस्ट्रार:** इसमें विभिन्न राज्यों में स्थित कंपनी रजिस्ट्रार-सह-आधिकारिक परिसमापक कार्यालयों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों पर होने वाले व्यय का प्रावधान है। इन कार्यालयों के मुख्य कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और कंपनी अधिनियम, 1956 की शेष धाराओं के अधीन पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों की रजिस्ट्री, वार्षिक रिटर्न, तुलन पत्र और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा करना तथा ऐसी संवीक्षा के परिणामस्वरूप ध्यान में आने वाली अनियमितताओं पर अपेक्षित कार्रवाई करना है। कंपनी रजिस्ट्रार-सह-आधिकारिक परिसमापक दोनों प्रकार्यों अर्थात् पंजीकरण का कार्य और परिसमापन के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक परिसमापक का कार्य करते हैं। ये कार्यालय उच्च न्यायालयों के साथ संबद्ध होते हैं और ये अनिवार्य परिसमापन के अधीन कंपनियों के प्रभारी होते हैं।

2.02. **क्षेत्रीय निदेशक, आधिकारिक परिसमापक और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ में अन्य व्यय:** क्षेत्रीय निदेशक अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कंपनी रजिस्ट्रार-सह-आधिकारिक परिसमापक कार्यालयों, कंपनी रजिस्ट्रार और आधिकारिक परिसमापक कार्यालयों का पर्यवेक्षण, परामर्श एवं मार्गदर्शन करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है और ये उच्च न्यायालयों से संबद्ध होते हैं। ये कार्यालय परिसमापन के अधीन वाली कंपनियों के प्रभारी होते हैं। महानिदेशक, कारपोरेट कार्य की भूमिका मंत्रालय और देश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच संपर्क स्थापित करने की है।

अन्य व्यय में, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी), प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (कॉम्पैट), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपील अधिकरण (एनएफआरएए), विशेष न्यायालय और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के लिए प्रावधान है।

4. **कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम):** कारपोरेट डाटा प्रबंधन योजना में मंत्रालय में इन-हाउस डाटा माइनिंग और विश्लेषणात्मक सुविधा तैयार करने का प्रस्ताव है जिससे इसकी कारपोरेट रजिस्ट्री में मौजूद सूचना के विशाल संग्रह का प्रभावी उपयोग किया जा सके। इस सुविधा का लक्ष्य सभी हितधारकों को अधिक सुगम तरीके से प्रामाणिक और सही डाटा उपलब्ध कराने के साथ-साथ, इस मंत्रालय और अन्य नीतिगत या निर्णय लेने वाली सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियों को व्यवस्थित और संरचित तरीके से सूचना उपलब्ध कराना है।

5. **डाटा माइनिंग प्रणाली (डीएमएस):** इसमें कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रणाली के लिए अतिरिक्त साफ्टवेयर लाइसेंस और आईटी संबंधी उत्पादों के प्रापण के लिए पूंजी खंड के अधीन खर्च का प्रावधान है।

6. **भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड:** दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसार इस मंत्रालय ने कारपोरेट निकायों, भागीदारी फर्मों और व्यक्तियों का समयबद्ध रीति में पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान करने से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड का गठन किया है ताकि ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य की अधिकतम वृद्धि करने, उद्यमिता और ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने और सरकारी देयराशियों के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन सहित सभी पक्षकारों के हितों में संतुलन बनाया जा सके तथा इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता तैयार की जा सके।

7. **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग:** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के लिए की गई है। पूर्ववर्ती एमआरटीपी आयोग के समक्ष लंबित सभी मामले प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण या प्रतिस्पर्धा आयोग को अंतरित हो गए हैं। इसमें सामान्य अनुदान सहायता, अनुदान-सहायता वेतन और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान आदि का प्रावधान है।

8.01. **निवेशकों को दावा न किए गए लाभांश की वापसी:** दावेदारों को भुगतान/दावा न की गई राशि का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) से संवितरण करने के लिए प्रावधान है।

8.02. **आईईपीएफ से की गई वसूलियां घटाएं:** निवेशकों को लौटाने हेतु निधि में से आहरण का प्रावधान है।

9. **मुख्य निर्माण कार्य - भूमि और भवन:** भूमि/भवन की खरीद/कार्यालय परिसर के निर्माण/कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न पूंजीगत मदों पर व्यय का प्रावधान है।